कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) हनुमानगढ राजस्थान

क्रमाकः–जिशिअ/हनु/प्रा0/मान्यता/2012/ 1687 दिनांकः– 22/2/2013

प्रबन्धक

शांति निकेतन एजूकेशनल सोसायटी भादरा

तह भादरा जिला हनुमानगढ

विषयः–निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा–18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 11 के उप नियम (4)के अधीन विधालय का मान्यता प्रमाण–पत्र ।

महोदय/महोदया,

आपके दिनांक 20.9.2011के आवेदन और इस संबध में विधालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिदेश **शांति निकेतन पब्लिक स्कूल संजय चौक भादरा (अग्रेजी माध्यम) तहः भादरा को दिनांक 12/2012 से तीन वर्ष की अवधि के लिये कक्षा 1 से 8 कक्षा** तक के लिये अन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ । उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो को पूरा किये जाने के अध्यधीन है ।

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नही है उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संबंधन के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नही है ।

2.विधालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम,2009(उपाबंध 1)और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010(उपाबंध 2)के उपबंधो का पालना करेगा ।

3.विधालय कक्षा 1 में उस कक्षा के बालकों की सख्या के 25 प्रतिशत तक आस पडौस के कमजोर वर्गो और अलाभपद समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हे निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा,उसक पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा ।

4.पैरा–3में निर्दिष्ट बालकों के लिए, विधालय को अधिनियम की धारा–12(2)के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा । ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विधालय एक पृथक बैक खाता रखेगा ।

5.सोसायटी/विधालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नही करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिग प्रकिया के अध्याधीन नही करेगा ।

6.विधालय किसी बालक को, उसकी आयु का प्रमाण न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नही करेगा । यदि ऐसा प्रवेश जन्म स्थान, धर्म, जाति या प्रजाति या इनमें किसी एक उपलब्ध/निर्धारित आधार पर उत्तरवर्ती चाहा गया है ।

7.विधालय सुनिश्चित करेगा कि:–'

(1) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को ,विधालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण नही किया जायेगा या उसे विधालय से निष्कासित नही किया जायेगा ।

(2) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीडन के अध्यधीन नही किया जायेगा

(3) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नही की जायेगी ।

(4) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम–23 के अधीन अधिकथित किए अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा ।

(5) अधिनियम के उपबंधो के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकता वाले विधार्थियों का स्मावेश किया जाना ।

ned with OKEN Scanner